रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्रहायण 16, 1940
No. 874]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1184(अ).—जबकि, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 के साथ पठित वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 को संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप, जिन्हें भारत सरकार धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया जाना प्रस्तावित करती है, भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 17.01.2017 में भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 17.01.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) द्वारा पूर्व-प्रकाशित किया गया था, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा अपेक्षित है, जिसके द्वारा इन संशोधनों से प्रभावित होने वाले संभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और जबकि, उक्त नियमों के संबंध में प्रतिक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर विचार किया गया और उपयुक्त पाए गए सुझावों को उक्त प्रारूप नियमों में समाविष्ट कर लिया गया।

और जबकि, आगे परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, उक्त नियमों में कुछ और संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया ताकि विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में और नई अपेक्षाओं तथा परिवर्तनों का समाधान किया जा सके। और तदनुसार, मंत्रालय ने आम जनता और स्टेकधारकों के साथ नए सिरे से परामर्श करने का निर्णय लिया है।

और इस प्रकार, वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 5 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 को आगे संशोधित करने के लिए वायुयान (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2018 नाम से निम्नलिखित नियम बनाती है, और जैसा कि उपरोल्लिखित अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपेक्षित है, इनसे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, इन्हें पूर्व-प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इनकी प्रतियां भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, में प्रकाशित की गई थीं, जिसमें ये जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, उससे पंद्रह दिन की अवधि के बाद विचार किया जाएगा।

और जबकि, उपरोल्लिखित अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकने वाले किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

और इस प्रकार, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई भी सुझाव या आपत्ति करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट विधि के भीतर इन्हें महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), ए-विंग, प्रथम से तीसरा तल, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 [ईमेल: ddpol.bcas@nic.in] को अग्रषित कर सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. वायुयान (सुरक्षा) नियमावली, 2011 में, -

(i) विमान (सुरक्षा) नियमावली, 2011 के विभिन्न खंडों के अंतर्गत ''आयुक्त/सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन)'' की प्रस्तुत अभिव्यक्ति के स्थान पर ''महानिदेशक'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 1(4) में निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :-

"1 (4). यह नियमावली विमानन सुरक्षा के संबंध में तथा इस नियमावली के अंतर्गत संशोधित की गई नियमावली के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी सभी पूर्व आदेशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों का अधिक्रमण करेंगे।''

(iii) नियम 2(जी) का प्रतिस्थापन निम्नानुसार किया जाएगा:-

"महानिदेशक'' का अर्थ महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय होगा, जो परिशिष्ट 17 की अपेक्षाओं के संबंध में सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(iv) नियम 2(1)(जैडई) में निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा:-

"2(1)(जैडई). ''अनुसूचित भारतीय विमान वाहक'' से वह विमान वाहक अभिप्रेत होगा जिसे नागर विमानन महानिदेशालय से ''अनुसूचित प्रचालक परमिट'' प्राप्त है तथा जिसके स्वामित्व का आवश्यक भाग एवं प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है।''

(v) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"4. अपीलें – यदि कोई व्यक्ति, इस नियमावली के अध्याधीन प्राप्त शक्तियों के उपयोग से पारित किसी आदेश के प्रति, असंतुष्ट होता है, तो वह ऐसे आदेश पारित किए जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर अपेक्षानुसार अपनी अपील सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।

(vi) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"6. एयरोड्राम की चारदीवारी, - प्रत्येक एयरोड्राम प्रचालक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा समय समय पर किए जाने वाले निर्धारण के अनुसार एयरोड्राम के लिए चारदीवारी अथवा अन्य संरचना की व्यवस्था करेगा।

परंतु, यह कि महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) संभावित खतरे तथा किसी अन्य कारण से चारदीवारी अथवा अन्य संरचना के विनिर्देशों के संबंध में आदेश द्वारा, रियायत कर सकते है।''

(vii) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"26. कर्मचारियों की तैनाती – विमान प्रचालक द्वारा सुरक्षा कार्यो के लिए केवल उन्हीं कार्मिकों की तैनाती की जाएगी जो एयरोड्राम प्रचालक (केवल ऐसे एयरोड्राम जिसके संबंध में इन-लाइन सामान जांच व्यवस्था का अनुमोदन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा किया गया है) के पूर्णकालिक सीधे भर्ती किए गए कार्मिक हैं अथवा अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके साथ ऐसे विमान प्रचालक ने सुरक्षा सेवा हेतु संविदा में प्रवेश किया है, जिनका चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया हो तथा जिनको राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार उचित प्रशिक्षण, चयन प्रक्रियाओं तथा प्रमाणन के पश्चात नियुक्त किया गया हो ";

(viii) नियम 27 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"27. विमान में सुरक्षा तलाशी – अनुसूचित भारतीय विमान वाहक द्वारा अपने विमान अथवा सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध किए गए अन्य किसी विमान प्रचालक के विमान की तलाशी लेगा"

(क) उसे सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में लाए जाने से पूर्व; तथा

(ख) विमान में यात्रियों के आरोहण से पूर्व ";

(ix) नियम 28 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"28. विमान तक पहुंच नियंत्रण –

1. वायुयान प्रचालक अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान प्रचालकों के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, विमान तक प्रवेश को नियंत्रित करेंगे तथा सुरक्षा जांच से प्रस्थान तक निगरानी रखेंगे।

2. वायुयान प्रचालक अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान प्रचालकों के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, निम्न कार्यों को करते हुए गैर-प्रचालनिक विमान को नियंत्रित करेंगे:-

   I. केबिन द्वार बंद करके;

   II. एयरोब्रिज और वेनट्रल सीढ़ियों को सुरक्षित, निकाल कर अथवा पीछे हटा कर, तथा

   III. दरवाजों को टेम्पर एविडेंट सीलबंद करके

(x) नियम 31 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"31. संभाले गए सामान के लिए सुरक्षा नियंत्रण - विमान प्रचालक अथवा एयरोड्रोम प्रचालक (केवल उस एयरोड्रम पर जहां बीसीएएस द्वारा इनलाइन बैगेज निरीक्षण प्रणाली को स्वीकृति दी गई है) अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, वह संभाले गए सामान की जांच और संरक्षण, समय-समय महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में करेगा।"

(xi) नियम 32 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"32. संभाले गए सामान की शिनाख्त और मिलान - विमान प्रचालक अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, संभाले गए सामान की शिनाख्त और मिलान, समय-समय महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में करेगा।"

(xii) नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम होगा, अर्थात :-

"33. ट्रांसफर बैगेज - विमान प्रचालक अथवा एरोड्रम प्रचालक अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, ट्रांसफर बैगेज को विमान में लोड करने से पूर्व ट्रांसफर होल्ड बैगेज की जांच करेंगे:

परन्तु यह तब जबकि होल्ड बैगेज की जांच यात्रा के उद्गम स्थान पर की गई है तथा इसके बाद उद्गम हवाईअड्डे से ट्रांसफर हवाईअड्डे तक प्रस्थान करने वाले विमान में बैगेज की अप्राधिकृत छेड़छाड़ से संरक्षित किया गया है तो जांच नहीं होगी।"

(xiii) नियम 37 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"37 (1) कार्गो और कूरियर बैग के लिए सुरक्षा नियंत्रण.- किसी भी विमान पर वहन किए जाने वाले किसी भी कार्गो, एक्सप्रेस कार्गो या कूरियर बैग को विमान प्रचालक के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम अथवा

अनुसूचित भारतीय विमान वाहक अथवा आयोग द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रशिक्षित पूर्णकालिक कर्मचारियों द्वारा प्राप्त, संसाधित और संभाला जाएगा।"

(xiv) नियम 39 के को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"39. साथ ले जाए जाने वाले कूरियर थैलों की शिनाख्त और मिलान - साथ ले जाए जाने वाले कूरियर थैलों की शिनाखत और मिलान विमान प्रचालक अथवा कोई अन्य अनुसूचित भारतीय विमान वाहक, जिनके पास ऐसे विमान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा के लिए अनुबंध है, द्वारा इस तरीके से की जाएगी जैसे महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।"

[फा. सं. एवी.11021/3/2015-एएस]

रूबीना अली, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2018

G.S.R 1184(E).—Whereas, the draft of certain rules to amend the Aircraft (Security) Rules, 2011 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) were pre-published as required by section 14 of the said Act, vide the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No. G.S.R. 37(E) dated 17.01.2017 in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 17.01.2017, inviting objection and suggestion from all persons likely to be affected thereby.

And whereas, the comments and suggestion received in response with respect to the said draft rules were considered and suggestions found appropriate were incorporated in the said draft rules;

And whereas, during the process of further examination, it was felt necessary to make some more amendments in the said Rules so as to address the newer requirements and changes in the field of Aviation Security. And accordingly, this Ministry has decided to hold consultation afresh with the general public and stakeholders;

And therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 5 of the Aircraft Act, 1934, the Central Government hereby makes following rules further to amend the Aircraft (Security) Rules, 2011, namely, Aircraft (Security) Amendment Rules, 2018, and pre-publish them as required under Section 14 of the aforesaid Act, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be impacted/affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

And whereas, any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the Central Government;

And therefore, any person desirous of making any suggestions or objections with respect to the said draft rules may forward the same, within the period so specified, to the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), A-wing, 1st – 3rd Floors, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi-110001 [email: ddpol.bcas@nic.in].

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called the Aircraft (Security) Amendment Rules, 2018

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Security) Rules, 2011,-

(i) The expression "Commissioner / Commissioner of Security (Civil Aviation)" as it appears under different clauses of the Aircraft (Security) Rules, 2011, shall be substituted with the term "Director General".

(ii) Rule 1 (4), shall be inserted with following:-

"1 (4). These rules shall supersede all previous AVSEC Orders/Circulars and instructions issued by BCAS in relation and with respect to the Rules which are amended as per these Rules."

(iii) Rule 2(g), shall be substituted with following:-

"Director General" means the Director General, Bureau of Civil Aviation Security, Ministry of Civil Aviation, who shall be appropriate authority for the requirements of Annex 17.

(iv) Rules 2 (1)(ze), shall be inserted with following:-

"2(1)(ze). "Scheduled Indian Air Carrier" means an air carrier which has received 'Scheduled Operator Permit' from the Directorate General of Civil Aviation and whose substantial ownership & effective control vest with Indian Nationals"

(v) Rule 4, shall be substituted with following:-

"4. Appeals.- If any person is aggrieved by an order passed by an officer in exercise of powers conferred on him/her by these Rules, he/she may prefer an appeal before the Secretary, Ministry of Civil Aviation within a period of 60 days from the date on which such order is passed".

(vi) Rule 6, shall be substituted with the following:-

"6. Aerodrome perimeter,- Every aerodrome operator shall provide perimeter wall or other structures around the aerodrome as prescribed by ICAO from time to time.

Provided that the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), keeping in view the threat or any other reason, may, by order, relax the specification of the perimeter wall or other structures."

(vii) Rule 26, shall be substituted with following:-

"26. Deployment of staff.- An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties, who are whole-time direct employees of aerodrome operator (only at aerodrome where In-line baggage Inspection System is approved by BCAS) or Scheduled Indian Air Carriers with whom such aircraft operator has entered into a contract for security service, whose character and antecedents have been verified and who are employed after proper training, selection procedure and certification in accordance with national civil aviation security programme";

(viii) Rule 27, shall be substituted with following:-

"27. Security search of aircraft.- A Scheduled Indian Air Carrier shall carry out the search of his aircraft or aircraft of other airlines with whom such aircraft operator has entered into a contract for security service"

(a) before taking it to security restricted area; and

(b) before boarding of passengers after disembarkation.";

(ix) Rule 28, shall be substituted with following:-

"28. Access control to aircraft. –

(1) The aircraft operator or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security check to the departure.

(2) The aircraft operator or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator shall control the non-operational aircraft by keeping,-

(i) cabin doors closed;

(ii) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted ; and

(iii) tamper evident sealed doors.";

(x) Rule 31, shall be substituted with following:-

"31. Security control for hold baggage. – The aircraft operator or the aerodrome operator (only at aerodrome where inline baggage Inspection System is approved by BCAS) or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator shall screen and protect the hold baggage in such a manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) from time to time.";

(xi) Rule 32, shall be substituted with following:-

"32. Identification and reconciliation of hold baggage. – An aircraft operator or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) by an order in writing from time to time.";

(xii) Rule 33, shall be substituted with following:-

"33. Transfer baggage.- The aircraft operator or the aerodrome operator or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator shall screen the transfer hold baggage before loading into an aircraft:

Provided that the hold baggage screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorised interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome shall not be subject to screening.";

(xiii) Rule 37(1), shall be substituted with following:-

"37(1). Security control for cargo and courier bag.- Any cargo, express cargo or courier bag intended to be carried on any aircraft, shall be received, processed and handled by whole-time employees who are trained in accordance with the national civil aviation security programme of aircraft operator or Scheduled Indian Air Carrier or any other agency authorized by an order in writing by the Commission"

(xiv) Rule 39, shall be substituted with following:-

"39. Identification or reconciliation of accompanied courier bags.–The identification or reconciliation of accompanied courier bag shall be made by the aircraft operator or any other Scheduled Indian Air Carrier having contract for security service for such aircraft operator in such manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) from time to time.".

[F. No. AV.11021/3/2015-AS]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 34(E), dated the 19th January, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.07 19:35:05 +05'30'